XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

राजस्व अपील वाद संख्या–15/2004

U/S 48 (F) B.T.Act

कृष्ण कुमार राय, पिता–स्व0 मंगला प्रसाद राय, सा0–परोरा, थाना–के0नगर, जिला–पूर्णियाँ

————————आवेदक

बनाम्

भीम सरकार, पिता–भोला सरकार, सा0–बेलगच्छी धाट, थाना–के0नगर, जिला–पूर्णियाँ

————————विपक्षी

आ दे श

आवेदकगण भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर के न्यायालय से बटाईदारी वाद स0–147/93–93

145/99–2000 में पारित आदेश के विरूद्व यह वाद दायर किया गया है। आवेदक का कथन है कि विपक्षी मौजा देवीनगर, खाता सं0–96, खेसरा सं0–20,रकवा 1.90 एकड़ एवं खेसरा नं0–21 रकवा 40 डि जमीन पर बटाईहक के लिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर के न्यायालय में धारा 48 (E) B.T.Act अन्तर्गत वाद दायर किया। निम्न न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचित किये बिना ही वाद को प्रविष्ट किया गया। समझौता बोर्ड द्वारा समझौता कराने में विफल होने के बाद निम्न न्यायालय में वाद निम्न न्यायालय में वाद की सूवनाई प्रारंभ की गई। निम्न न्यायालय द्वारा स्थल जॉच किये बिना ही आवश्यक प्रक्रियाओं को नजरअंदाज कर विपक्षी को बटाईदार घोषित किया गया। आवेदक का कथन है कि प्रश्नगत जमीन उनके पूर्वज का है और कुल रकवा 11 एकड़ 33 डि0 है, जिसमें कई हिस्सेदार है। विपक्षी ने निम्न न्यायालय में कई हिस्सेदार को पक्षकार नही बनाया। आवेदक के हिस्से में 25–30 एकड़ जमीन हैं और अपने ट्रेक्टर से स्वंय खेती करते है। विपक्षी एक राज मिस्त्री है और कभी भी प्रश्नगत जमीन का बटाईदार नहीं रहा है। विपक्षी लालच में आकर झुठा मुकदमा दायर किया और निम्न न्यायालय द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर आदेश पारित किया गया है। अतः आवेदक इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि निम्न न्यायालय का अभिलेख मंगवाकर वाद की सुनवाई करते हुए आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

विपक्षी का कथन है कि यह वाद किसी भी दृष्टिकोण से निर्वहन योग्य नहीं है। विपक्षी आवेदक के पिता मंगल प्रसाद राय से वर्ष1980 ई0 में प्रश्नगत जमीन बटाई पर लिया था और आजतक खेती कर फसल बॉटकर भूस्वामी को दे रहा है। विपक्षी 12 वर्षो से प्रश्नगत जमीन पर खेती कर रहा है। इस लिए अधिभोगी दर रैयत का हक प्राप्त कर चुका है । आवेदक जमीन बेचना चाहते हैं इसलिए विपक्षी को बलपूर्वक जमीन छोड़ने के लिए दवाव दे रहें है । भुस्वामी को इा बात की जानकारी नहीं है कि किस जमीन पर विपक्षी द्वारा बटाई का दावा किया गया है। स्थानीय मुखिया ने विपक्षी द्वारा बटाई का दावा को संपुष्ट किया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियम के अनुकूल है।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अतः विपक्षी इस न्यायालय से निवेदन करता है कि आवेदक द्वारा प्रारंभ किये गये इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 13.04.2012 को उभय पक्षों को सुना गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा समझौता बोर्ड से वाद को वापस लेते हुए साक्ष्य हेतु रखा गया। परन्तु आवेदक के साक्ष्यों पर विचार नहीं किया। निम्न न्यायालय द्वारा समझौता बोर्ड हेतु कारगर प्रयास भी नहीं किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा समझौता बोर्ड हेतु प्रयास नहीं करने की आवेदक की बात निराधार है। निम्न न्यायालय के आदेश में आवेदक के साक्ष्य को भी मुख्य साक्ष्य के रूप में शामिल है।

पुनः दिनांक 25.05.2012 को अभिलेख सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजातों के अवलोकन एवं सुनवाई के बाद स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है एवं इस आदेश में किसी तरह की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ